[देखिये परिशिष्ट ३३-३४, अनुपत्र संख्या १८]

(ग) इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि १९६१-६२ के अन्त तक हिन्दी में प्राप्त हुए सभी पत्रों का उत्तर यथासम्भव हिन्दी में ही दिया जाए।

†[THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. B. V. KESKAR): (a) and (b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. [*See* Appendix XXXIII-XXXIV, Annexure No. 18.]

(c) Arrangements are being made to ensure that by the end of 1961-62, all communications in Hindi are replied to in Hindi as far as possible.]

शाहाबाद सीमेंट फैक्टरी

३२९. श्री शेरखां : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहाबाद सीमेंट फैक्टरी, शाहाबाद, जिला गुलबर्गा, मैसूर राज्य, में केन्द्रीय सरकार के कितने शेयर हैं;

(ख) इस फैक्टरी में मैसूर सरकार के कितने शेयर हैं;

(ग) गैर-सरकारी शेयर कितने हैं; और

(घ) उक्त फैक्टरी के डायरेक्टरों के बोर्ड में मैसूर सरकार के कितने प्रतिनिधि हैं ?

†[SHAHABAD CEMENT FACTORY

329. SHRI SHERKHAN: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of shares held by the Central Government in the Shahabad Cement Factory, Shahabad, District Gulbarga, Mysore State;

(b) the number of shares of the Mysore Government in the factory;

(c) the number of private shares; and

(d) the number of representatives of the Mysore Government on the Board of Directors of the said factory?]

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) कम्पनी एक्ट के अधीन 'शाहाबाद सीमेंट फैक्टरी, शाहाबाद' नाम की कोई भी कम्पनी पंजीबद्ध नहीं है। इस के विपरीत यह कम्पनी सीमेंट बनाने वाली उन अनेक कम्पनियों में से एक जान पड़ती है जिसका प्रबन्ध एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कम्पनी एक्ट के अधीन एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड को कानूनी सत्ता के रूप में अपने उत्पादन के आंकड़े भेजने पड़ते हैं, अधीन कारखानों के नहीं, इसलिये प्रश्न में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

†[THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MANUBHAI SHAH): (a) to (d) There is no company by the name of "Shahabad Cenment Factory, Shahabad" registered under the Companies Act. On the contrary it appears to be one of the several Cement manufacturing factories managed by the Associated Cement Companies Limited. As under the Companies Act, the Associated Cement Companies Limited has to file returns for itself as a legal entity and not for its constituent units, the information asked for in the question cannot be furnished.]

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नासिक में लीथो आफसेट शाखा

३३०. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

†[ ] English translation.